कम्प्यूटर परिपत्र सं0 070813

पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र /2008/ 2191 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(चेक पोस्ट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 15 जनवरी , 2008

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर
ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0अनु0शा0/प्र0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)
डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर /
चेक पोस्ट, सचलदल, वि0अनु0शा,कर निर्धारण, वाणिज्य कर उ0प्र0
वाणिज्य कर अधिकारी , उ0प्र0 ।

Key word 1-47-Verification Forms/ Penalty

शासन द्वारा अपने पत्र सं0 2693/11-2-2007-9(251)/07 दि0 27.12.07 द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारतीय वायु सेना के उपयोगार्थ आई0टी0गुड्स टेली कम्यूनिकेशन इक्विपमेन्ट्स एवं इलेक्ट्रानिक गुड्स आदि माल का आयात बिना फार्म-39 (व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित फार्म-32) के भारतीय वायु सेना के लिए करने दिया जाय, यदि भारतीय वायु सेना की ओर से नामित सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, तब इस प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर माल के आयात हेतु फार्म-39 (व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित फार्म-32) की मॉग जॉच चौकी / सचलदल अधिकारियों द्वारा न की जाए । उक्त परिप्रेंक्ष्य में आपकों निर्देशित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित वाहन चालक /अधिकृत प्रतिनिधि से तीन (3)प्रतियों में प्राप्त करें , जिसमें से एक प्रति पर मोहर लगाकर हस्ताक्षर करके वाहन चालक को प्राप्त करा दें व दो प्रतियॉ चेकपोस्ट पर रोकते हुए वाहन को बिना फार्म-39 (व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित फार्म-32) के अपने गंतव्य स्थान को जाने दिया जाय । इन दो प्रतियों में से एक प्रति संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)को एक पत्र के साथ सम्बन्धित एयरफोर्स यूनिट से पुष्टि हेतु प्रेषित कर दी जाय ।

2- इस प्रकार के मामलों में उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर जॉचचौकी / सचल दल द्वारा फार्म-39 (व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित फार्म-32) की मॉग न की जाय । सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा अपने स्तर पर यह पुष्टि सम्बन्धित एयर फोर्स यूनिट से कर ली जायेगी कि वास्तव में उनके यहॉ उक्त माल प्राप्त हो गया है और बिक्री हेतु प्रयुक्त नही हो रहा है । यदि उक्त माल वहॉ नहीं प्राप्त होता है अथवा बिक्री हेतु प्रयुक्त होता है तो सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) जिसके द्वारा यह पुष्टि की जानी है, द्वारा वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

ह0/-
(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन (अनुभाग-2),उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र सं0 2693/11-2-2007-9(251)/07 दि0 27.12.07 के क्रम में ।
2. अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।
3. ग्रुप कैप्टन Dir Signals AirHQ रक्षा मंत्रालय वायु भवन नई दिल्ली 110001 को उनके पत्र दिनांक 30-05-2007 के क्रम मे इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वायुसेना के प्रयोंग हेतु इलेक्ट्रानिक्स सामानों को बिना फार्म-39 (पूर्व फार्म-32) के आयात करने के संबंध में उपर्युक्तानुसार व्यवस्था निर्धारित करने का कष्ट करें ।
4. समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ
6. समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय ।
7. चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियॉ अतिरिक्त

(एस0पी0 सिंह)
डिप्टी कमिश्नर (चे0पो0) वाणिज्य कर